

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-2), उत्तर प्रदेश र्विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ- 226 010

का. आ. संख्याः / दिनांकः 15.04.2025

## कार्यालय आदेश

## विषयः विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक के आयोजन के संबंध में।

Subject: Regarding the organization of quarterly meeting of Departmental Official Language Implementation Committee.

31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही हेतु विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन माननीय महालेखाकार की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2025 को पूर्वाह्न 11.30 बजे सम्मेलन/बोर्ड कक्ष में किया जाएगा। इस बैठक में सभी समूह अधिकारी तथा मुख्यालय में पदस्थापित समस्त वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। बैठक की कार्यसची निम्नलिखित है:

The meeting of the Departmental Official Language Implementation Committee for the quarter ended on 31<sup>st</sup> March 2025 will be organized under the chairmanship of Hon'ble Accountant General on **17.04.2025 at 11.30 am** in the conference/board room. All group officers and all senior audit officers and assistant audit officers posted at the headquarters will be necessarily present in this meeting. The agenda of the meeting is as follows:

मद संख्या 1: दिनांक 14.02.2025 को आयोजित पिछली तिमाही की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मद संख्या 2: विगत एवं वर्तमान तिमाही प्रतिवेदन के आँकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण मद संख्या 3: मूल पत्राचार पर चर्चा मद संख्या 4: आदरणीय महालेखाकार की अनुमति से और कोई अन्य विषय।

Item No. 1: Confirmation of the minutes of the last quarterly meeting held on 14.02.2025 Item No. 2: Comparative analysis of data of past and current quarterly report Item No. 3: Discussion on the original correspondence Item No. 4: Any other subject with the permission of the Hon'ble Accountant General.

(प्राधिकार: महालेखाकार महोदया का अनुमोदन दिनांक: 11.04.2025)

व, उप महालेखाकार (प्रशासन)

दिनांकः 15.04.2025

संख्याः हिन्दी अनु./ विराकास बैठक/ 2024-25/ 67- 74-प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः

- 1. व. उप महालेखाकार (एएमजी-3 एवं प्रशासन)
- 2. व. उप महालेखाकार (एएमजी-2)
- 3. उप महालेखाकार (एएमजी-4)
- 4. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-2), लखनऊ
- 5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी तथा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी [प्रशासन, सामान्य प्रशासन, पीसी प्रकोष्ठ, एएमजी-2 (प्रो), एएमजी-3 (प्रो), एएमजी-4 (प्रो), प्रतिवेदन अनुभाग (राजस्व), प्रतिवेदन अनुभाग (पीएसयू और नॉन पीएसयू), आई. टी., आई.टी.ए., एनआरए/डीसीआरए]- इस अनुरोध सहित कि उक्त बैठक में उपस्थिति सनिश्चित करें।
- 6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (आई. टी. अनुभाग) को इस अनुरोध के साथ कि उक्त परिपत्र को कार्यालय की वेवसाइट पर अपलोड करवायें तथा बैठक हेतु प्रोजेक्टर इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- व. लेखापरीक्षा अधिकारी (सामान्य प्रशासन) को इस अनुरोध सहित कि कृपया बैठक में प्रतिभागियों हेतु जलपान एवं लेखन सामग्री इत्यादि की व्यवस्था करवाकर अनुगृहीत करें।

堂 लेखापरीक्षा अधिकारी/आई.टी. प्रकोष्ट

8. सुचना-पट्ट

सहायक निदेशक